

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1857-एक/13 विरुद्ध आदेश दिनांक 28-12-2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 146/अपील/2008-09.

श्यामसुन्दर आत्मज स्व. श्री मुंशीलाल
निवासी ग्राम पंजरा काशीराम हाल मुकाम
नाहर कालानी बरेली, जिला रायसेन

.....आवेदक

विरुद्ध

- 1- रतनलाल आत्मज स्व. श्री मुंशीलाल
- 2- हरीबावू आत्मज स्व. श्री मुंशीलाल
निवासीगण ग्राम पांजरा काशीराम
तहसील बरेली, जिला रायसेन

.....अनावेदकगण


श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री डी.डी. मेघानी, अभिभाषक, अनावेदक क. 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/7/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश 28-12-2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार, बरेली जिला रायसेन द्वारा नामान्तरण पंजी पर पारित आदेश दिनांक 14-3-95 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी, बरेली जिला रायसेन के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 5-4-08 को प्रस्तुत की गई। चूंकि प्रथम अपील लगभग 13 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, इसलिए



विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22-12-08 को आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र निरस्त करते हुए अपील अवधि बाह्य होने से अस्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अनावेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28-12-2012 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 22-12-08 निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी को गुण-दोषों पर प्रकरण का निराकरण किये जाने के निर्देश दिये गये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए :-

(1) यह मान्य तथ्य है कि मुंशीलाल द्वारा आवेदक को वर्ष 1984 में कोई भूमि नहीं दी गई थी, इसलिए उनके द्वारा अपने हिस्से में से वर्ष 1995 में आवेदक को नामांतरण दिनांक 14-3-95 के द्वारा 1.49 एकड़ भूमि दी गयी तथा आवेदक को बटवारे में भूमि देने के उपरान्त लगभग 11 वर्ष के पश्चात 2006 में मुंशीलाल का स्वर्गवास हुआ, परन्तु अनावेदकगण ने मुंशीलाल के जीवनकाल एवं उनके स्वर्गवास के दो वर्ष उपरान्त तक भी नामांतरण दिनांक 14-3-95 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई । वर्ष 2008 के उपरान्त जमीनों की कीमतों में वृद्धि होने के कारण मनगढन्त एवं असत्य तथ्यों के आधार पर लगभग 13 वर्ष उपरान्त समयावधि बाह्य प्रकरण प्रस्तुत किया गया । इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने विचार किए बिना विवादित आदेश पारित करने में त्रुटि की है ।

(2) यह भी मान्य तथ्य है कि मुंशीलाल द्वारा वर्ष 1995 में जिस नामांतरण दिनांक 14-3-95 के माध्यम से भूमि बटवारे में दी गई थी, उस नामांतरण पंजी पर मुंशीलाल एवं अनावेदकगण द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे, परन्तु अनावेदकगण द्वारा नामांतरण दिनांक 14-3-95 पर हस्ताक्षर करने संबंधी तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजर अंदाज किया गया है । अनावेदकगण द्वारा नामांतरण पंजी पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसीलिए मुंशीलाल के जीवनकाल में नामांतरण पंजी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ।



(3) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा प्रस्तुत नामांतरण पंजियों के अवलोकन से यह प्रथम दृष्टया ही प्रमाणित है कि अनावेदकगण को आवेदक के पक्ष में हुई बटवारे की कार्यवाही की पूर्ण जानकारी थी तथा उनके द्वारा दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष दुर्भावनावश तथ्यों को छिपाने का प्रयास किया गया है । अनावेदकगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस तथ्य को प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहे हैं कि नामांतरण दिनांक 14-3-95 पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं तथा नामांतरण पंजी पर हुए बटवारे की जानकारी होने के उपरान्त भी उनके द्वारा लगभग 13 वर्ष तक बटवारे के संबंध में कार्यवाही क्यों नहीं की गई । अनावेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में कोई पर्याप्त कारण प्रस्तुत नहीं किया गया था, परन्तु विलम्ब परिमार्जन के संबंध में कोई पर्याप्त कारण नहीं होने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपील को समय-सीमा में मानते हुए विवादित आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटि की है ।

(4) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामांतरण आदेश दिनांक 14-3-95 के संबंध में अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत इस तर्क के आधार पर विवादित आदेश पारित किया गया है कि वर्ष 1995 में अधिनियम की धारा 178 (क) के प्रावधान लागू नहीं थे, इसलिए आवेदक के पक्ष में की गई बटवारे की कार्यवाही अवैधानिक है, परन्तु इसके विपरीत अनावेदकगण के पक्ष में 1985 में हुए बटवारे की कार्यवाही को उचित ठहराया गया है । अधिनियम के प्रावधान उभय पक्षों पर समान रूप से लागू होते हैं, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोहरे मापदण्डों के आधार पर विवादित आदेश पारित किया गया है, जो कि प्रथम दृष्टया ही त्रुटिपूर्ण होने से निरस्ती योग्य है ।

(5) अनावेदकगण द्वारा विवादित प्रकरण प्रस्तुत करने से पूर्व इस तथ्य पर भी विचार नहीं किया गया कि आवेदक एवं अनावेदकगण की मां वर्ष 1989 के पूर्व से ही लकवे की गंभीर बीमारी से ग्रस्त थी । आवेदक के पास खेती बाड़ी के अलावा भरण-पोषण के लिए कोई अन्य साधन नहीं था तथा खेती से होने वाली आय से ही आवेदक द्वारा अपनी मां का ईलाज एवं अपनी पांच बहनों की शादी की गई थी । उक्त सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त ही मुंशीलाल द्वारा अनावेदकगण की सहमति से आवेदक को भूमि दी गई थी परन्तु मुंशीलाल के स्वर्गवास के दो वर्ष बाद सम्पूर्ण जानकारी होने के उपरान्त भी

Best

अनावेदकगण द्वारा दुर्भावनावश आवेदकगण के विरुद्ध न्यायालयीन कार्यवाही की गई है, जो कि प्रथम दृष्टया ही त्रुटिपूर्ण है ।

(6) विधि का यह मान्य सिद्धांत है कि जो व्यक्ति विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं है, उसे वरिष्ठ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने बावत् अनुमति आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है । अनुमति आवेदन पत्र के अभाव में प्रकरण ग्राह्य नहीं किया जा सकता है । अनावेदकगण अधीनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष प्रकरण में पक्षकार नहीं थे, इसलिए उन्हें अपील प्रस्तुत करने बावत् अनुमति आवेदन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था, परन्तु अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के संबंध में कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार किये बिना ही विवादित आदेश पारित करने में त्रुटि की है ।

(7) विधि का यह मान्य सिद्धांत है कि विलम्ब परिमार्जन के संबंध में दिन प्रतिदिन का स्पष्ट ब्यौरा दिया जाना आवश्यक है, परन्तु अनावेदकगण द्वारा अधिनियम की धारा 5 के आवेदन पत्र में 13 वर्ष के विलम्ब के संबंध में कोई स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में अस्पष्ट तथ्यों के आधार पर अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपील को समयावधि में मानने में गंभीर त्रुटि की गई है ।

(8) अनावेदकगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष विलम्ब परिमार्जन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में कोई ऐसा वैधानिक आधार उल्लेखित नहीं किया गया है, जिसके आधार पर अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को समयावधि में माना जा सके, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी उचित आधार के विवादित आदेश के द्वारा अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपील को समयावधि में मानने में त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए :-


(1) संहिता की धारा 178 में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी खाते में, जिस पर संहिता की धारा 59 के अधीन कृषि के प्रयोजन के लिए निर्धारण किया गया हो एक से अधिक भूमिस्वामी हो तो उनमें से कोई भी भूमिस्वामी उस खाते में के अपने अंश के विभाजन के लिए तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा । तहसीलदार सह भूमिस्वामियों की सुनवाई करने



के पश्चात खाते को विभाजित कर सकेगा और उस खाते के निर्धारण को इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार प्रभाजित कर सकेगा । इस प्रावधान के अनुसरण में यह स्पष्ट है कि आवेदक तत्समय वादग्रस्त भूमि का सहखातेदार नहीं थे, और उसे वादग्रस्त भूमि में से संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बटवारे में भूमि प्राप्त करने की पात्रता ही नहीं थी । इस परिप्रेक्ष्य में तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 178 एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों का परिपालन किये बिना सीधे नामांतरण पंजी पर ही बटवारे का आदेश पारित कर दिया था, जो विधि शून्य आदेश था । विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि विधि शून्य आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने की कोई परिसीमा नहीं होती है । इस विधिक सिद्धान्त को नजर अन्दाज करते हुए अनुविभागीय अधिकारी ने प्रथम अपील में आदेश पारित करते हुए अनावेदकगण के द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त कर दिया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त ने निगरानीधीन आदेश द्वारा निरस्त कर न्यायिक आदेश पारित किया है, जिसे यथावत रखा जाकर आवेदक की निगरानी निरस्त की जाना उचित है ।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण दिनांक 14-3-95 को किये गये बटवारा आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय में मुशीलाल के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की वादग्रस्त 1.49 एकड़ भूमि कथित विभाजन पत्र का उल्लेख करते हुए आवेदक श्यामसुन्दर के नाम कर दी है । तहसील न्यायालय के द्वारा नामांतरण पंजी पर किया गया यह बटवारा सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, हिन्दु विधि, रजिस्ट्रेशन एक्ट, स्टाम्प एक्ट एवं संहिता के विरुद्ध होने के कारण पूर्णतः विधि शून्य था, और ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने की कोई परिसीमा नहीं होती है । इस विधिक सिद्धान्त को नजर अंदाज करते हुए अनुविभागीय अधिकारी ने प्रथम अपील में आदेश पारित करते हुए अनावेदकगण के द्वारा प्रस्तुत अपील पर गुण-दोषों पर विचार किए बिना समयावधि बाह्य मानकर निरस्त कर दिया था, जिसे अपर आयुक्त ने निगरानीधीन आदेश द्वारा निरस्त कर न्यायिक आदेश पारित किया है, जिसे यथावत रखा जाकर आवेदक की निगरानी निरस्त की जाना उचित है ।

(3) यह भी उल्लेखनीय है कि हिन्दु विधि एवं संहिता की धारा 178 के अंतर्गत दिनांक 24-3-95 को कोई भी पिता अपने जीवनकाल में अपने स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि अन्य



पुत्रगण वारिसान के होते हुए अपने किसी एक पुत्र को अर्थात् आवेदक को बटवारे में नहीं दे सकता है । इस विधिक प्रावधान को नजर अंदाज करते हुए तहसील न्यायालय ने बटवारा आदेश पारित किया था, जो विधि शून्य था, और ऐसे विधि शून्य आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने की कोई सीमा नहीं होती है । इस विधिक सिद्धान्त को नजर अंदाज करते हुए न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ने प्रथम अपील में आदेश पारित करते हुए अनावेदकगण के द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त कर दिया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त ने निगरानीधीन आदेश द्वारा निरस्त कर न्यायिक आदेश पारित किया है, जिसे यथावत रखा जाकर आवेदक की निगरानी निरस्त की जाना उचित है ।


(4) अनावेदकगण ने तहसील न्यायालय के द्वारा नामांतरण पंजी पर किये गये बटवारा आदेश के विरुद्ध संहिता की धारा 44 (1) के अन्तर्गत जो प्रथम अपील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत की थी, उसके साथ धारा-5 अवधि विधान का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया था । इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि तहसील न्यायालय के उक्त आदेश की उन्हें प्रथम बार जानकारी दिनांक 23-2-2008 को उस समय प्राप्त हुई थी, जब उन्हें उक्त नामांतरण पंजी की प्रतिलिपि प्राप्त हुई थी । अनावेदकगण ने उक्त प्रतिलिपि भी उनके न्यायालय में प्रस्तुत की थी, जिससे इस तथ्य की स्वतः पुष्टि हो रही थी कि दिनांक 23-2-2008 के पूर्व तहसीलदार द्वारा किये गये उक्त नामांतरण पंजी पर किये गये बटवारा आदेश की उन्हें जानकारी नहीं थी । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी ने अपील को समयावधि बाह्य मानकर अपील निरस्त कर अवैध आदेश पारित किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने द्वितीय अपील में न्यायिक आदेश पारित करते हुए निरस्त कर दिया है, जो यथावत रखा जाकर आवेदकगण की निगरानी निरस्त की जाना उचित है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदकगण द्वारा नामान्तरण पंजी पर पारित आदेश दिनांक 14-3-95 के विरुद्ध प्रथम अपील दिनांक 5-4-08 को लगभग 13 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22-12-08 को आदेश पारित कर केवल इस निष्कर्ष के साथ उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को अवधि बाह्य होने से



अस्वीकार किया गया है कि 13 वर्ष तक कोई कार्यवाही नहीं करने का कारण अनावेदकगण द्वारा नहीं बतलाया गया है, जबकि तहसीलदार द्वारा नामान्तरण पंजी पर पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक आदेश है, क्योंकि संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बटवारा का आदेश नामान्तरण पंजी पर पारित नहीं किया जा सकता है । विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि पूर्णतः अवैधानिक आदेश के संबंध में समय-सीमा लागू नहीं होती है, और उसमें किसी भी स्तर पर हस्तक्षेप किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त समय-सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर पूर्णतः अवैधानिक आदेश को स्थिर रखा जाना विधिसंगत एवं न्यायोचित नहीं है । इस संबंध में अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष पूर्णतः विधिसंगत है कि तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने में संहिता की धारा 178, 109 एवं 110 की प्रकिया का पालन नहीं किया गया है, इस कारण भी समय-सीमा के बिन्दु के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील अस्वीकार करने में त्रुटि की गई है । अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण का निराकरण गुण-दोष के आधार पर किए जाने के निर्देश दिये गये हैं, अतः अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर उपलब्ध है, और वह तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की वैधानिकता को सिद्ध कर सकते हैं । इस प्रकार अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-12-2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।


(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर